



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): FARIDABAD P.S. (थाना): SECTOR-31 Year (वर्ष): 2018
FARIDABAD
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0215 Date (दिनांक): 06/04/2018
10:50

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	THE HARYANA PROTECTION OF INTERERST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 2013 (HARYANA ACT NO. 32 OF 2014)	3
2	IPC 1860	120-B
3	IPC 1860	406
4	IPC 1860	420

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Date from (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): Time (समय):
06/04/2018 10:50 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): Time (समय):
010 06/04/2018
15:59 hrs



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): NORTH-EAST, 1 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): DLF SEC 31,
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): PARVEEN KUMAR
(b) Father's Name (पिताका नाम): GIRWAR DAYAL
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1978 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Occupation (व्यवसाय):

(h) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	RAJIV COLONY BALLABHGARH, SECTOR-55, FARIDABAD, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	RAJIV COLONY BALLABHGARH, SECTOR-55, FARIDABAD, HARYANA, INDIA



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

(i) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	अनिल जिन्दल चेयरमैन		
2	प्रतीक जिन्दल		
3	विनोद गर्ग मामा		
4	बिशन बसल		
5	नानक तायल		
6	पी०के० कपूर		
7	जे०के० गर्ग		
8	अन्य डायरेक्टर्स तथा एम्पालाईज		

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):
11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे, श्रीमान पुलिस कमीशनर साहब सैक्टर-21सी,फरीदाबाद। विषय :- शिकायत खिलाफ अनिल जिन्दल चैयरमैन, एस.आर.एस ग्रुप, प्रतीक जिन्दल, विनोद गर्ग (मामा) बिशन बसंल, नानक तायल, पी0के0 कपूर, जे0के गर्ग व अन्य डायरेक्टर्स (लिस्ट सलंगंन) तथा एम्पालाईज द्वारा मुझसे व जनता से पुर्वनियोजित षडयन्त्र के तहत सैकडो नामी बेनामी कम्पनीज (लिस्ट संलंगंन) बनाकर जालसाजी व धोखा धडी कर हमारी सारी उम्र की कमाई हडपने बाबत। श्रीमान जी, मैं PARVEEN पुत्र श्री गिरवर दयाल निवासी राजीव कालोनी हूँ यह कि विनोद गर्ग पुत्र स्वर्गीय खुशहाल चन्द निवासी कोठी न0-52,सैक्टर-9 फरीदाबाद का है जो कि मामा के नाम से मशहूर है से मेरी अच्छी जान पहचान है। विनोद ने मुझसे कहा कि अनिल जिन्दल चैयरमैन एस.आर.एस ग्रुप प्लाट व फ्लैट बना रहा है व मेरा भान्जा है। आप वहां एक लाख,दस लाख, पचास लाख या जितने भी पैसे लगा सकते है। मैं जल्द ही आपको आपके लगाये गये पैसो की कीमत का प्लाट या फ्लैट सस्ती कीमत पर दिला दुगां। जो जल्द ही दो तीन गुणा का हो जायेगा तब तक आपको 1.5% प्रतिमाह का ब्याज भी मिलता रहेगा। उसे आप ले भी सकते व जमा भी कर सकते है। जब मर्जी जितना मर्जी पैसा और भी जमा करवा सकते है तथा जब मर्जी सारा या कम पैसा वापिस ले सकते है वह (मामा) मुझे एस.आर.एस ग्रुप के आफिस ले गया वहां भी यही बात बतायी गयी। मैंने इनके झासैं मे आकर पैसे जमा करता रहा। जो कि 2015 लास्ट मे 6,50,000/- CHAC रुपये हो गये। वर्ष 2015 के आखिर मे मुझे पता चला कि विनोद मामा व अनिल जिन्दल चैयरमैन एस.आर.एस ग्रुप व उसके साथियो ने मिलीभगत, जालसाजी से हजारो लोगो से हजारो करोड ऐसे ही प्लाट, फ्लैट व ब्याज के झासैं मे फसांकर पैसा ले रखा है। हम लोगो ने मामा के यहां आंदोलन धरना प्रदर्शन किया अनिल जिन्दल चैयरमैन एस.आर.एस ग्रुप बेटा प्रतीक जिन्दल, बिशन बसंल, नानक तायल व इनके अन्य साथी मौके पर आये व उन्होने वादा किया कि सब के पैसे हमारे पास है। हम सबको जल्द दे देंगे। आप लोग हमारे आफिस एस.आर.एस टावर मे आये। हमे



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

विनोद (मामा) अनिल जिन्दल के आफिस मे ले गया वहां अनिल जिन्दल, प्रतीक जिन्दल, बिशन बसंल व नानक तायल सब बैठे थे। उनसे मिलवाया। अनिल जिन्दल व उन लोगो ने बहला फुसलाकर एस.आर.एस बिल्डमार्ट प्रा0लि0 कम्पनी के चैक दे दिये। मुझे चैक नम्बर, दिनांक-10.07.2018 रकम 6,50,00/-बैंक एकाउन्ट नम्बर का एस.आर.एस बिल्डमार्ट प्रा0लि0 कम्पनी को दे दिया। जिन चैको की तारीख आ गई वो सब बाउन्स हो रहे हैं। (मेरे डोक्युमेंट्स की कापी सलंगन है) अब चैक बाउन्स होने वाले लोगो को ठगने के लिये 15/20 हजार की डायमंड की ज्वैलरी एक लाख रुपये के हिसाब से चेप रहे यह भी सरासर पूर्वनियोजित जालसाजी व धोखाधडी है। चिट फंड कम्पनी की तर्ज पर पुर्व नियोजित षडयन्त्र के तहत मिलीभगत,जालसाजी व धोखाधडी कर मेरी सारी उम्र की कमाई हडप ली। अब पता चल रहा है कि अनिल जिन्दल व उसके साथियो ने यह कम्पनी लोगो को धोखा देने व पैसा हडपने के लिये ही बनाई थी। सुना है कि इस कम्पनी के छः हजार चैक लोगो को युनियन बैंक व ओरियन्टल बैंक के अपने बाडी गार्ड देविन्द्र अधाना (निवासी तिगांव) को फुल टाईम डायरेक्टर बनाकर उसके दस्तखत करवा कर दे चुका है। जो सभी अब बाउन्स हो रहे हैं। यह पुर्वनियोजित धोखा धडी व जालसाजी है। परन्तु जानते हुये भी प्रशासन व पुलिस कुछ करवाई नही कर रहे। अनिल जिन्दल ने यह कम्पनी पहले बिशन बसंल व नानक तायल को डायरेक्टर बनाकर रजिस्टर्ड करवाई जो कि इसकी कई अन्य कम्पनी मे डायरेक्टर है (लिस्ट सलंगन है) फिर जालसाजी व धोखा धडी की नियत से अपने बाँडी गार्ड देविन्द्र अधाना को फुल टाईम डायरेक्टर बनाकर उसके चैको पर दस्तखत करवा कर लोगो को दे दिये फिर जालसाजी व धोखाधडी की नियत से बिशन बसंल व नानक तायल को निकाल दिया व कम्पनी का नाम भी बदल दिया (पुफ संलग्न है)। इसने लोगो को ठगने के लिये और भी सैकडो नामी बेनामी कम्पनी बना रखी है (पुफ लिस्ट कम्पनी संलग्न है) जिसमे हजारो हजार करोड बैंको से व लोगो से धोखाधडिया कर रखी है। अब धीरे-धीरे सब भेद खुल रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोडकर प्रार्थना है कि अनिल जिन्दल, प्रतीक जिन्दल, बिशन बसंल , नानक तायल, विनोद (मामा) व इनके साथियो ने मेरी सारी उम्र की कमाई हडप ली है। इनसे मुझे :- 1. मेरी सारी उम्र की कमाई वापिस दिलाई जाये। 2. इनकी सी.बी.आई और ई.डी से जाचं करवाई जाए। 3. अनिल जिन्दल समेत सभी के पासपोर्ट जब्त किए जाएं यह कभी भी विदेश भाग सकते हैं। 4. इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। धन्यवाद। दिनांक.22.03.2018 sd:- PARVEEN KUMAR अज थाना :- आज दिनांक 06.04.2018 को एक परिवाद नम्बरी-341/Peshi दिनांक 22-3-18 मय साथ सलग्न परिवादे बजरिया डाक बाद राय



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

ADA साहब वा बा आदेश अफसरान बाला बराये दर्ज मुकदमा थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा नम्बर 215 दिनांक 06.04.2018 U/s 420, 406,120B IPC 3 of the Haryana protection of interest of depositors in F.E Act-2013 थाना सैक्टर - 31 फरीदाबाद में दर्ज रजिस्टर किया जाकर मुकदमा हजा की कम्प्युटराईज प्रतिया नियमानुसार तैयार करके समबन्धित अफसरान बाला वा इलाका मजिस्ट्रेट की सेवा मे भेजी जाएगी। नकल मिशल पुलिस मय असल परिवाद आगामी तफतीश हेतु निज्द प्रभारी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ सैक्टर-12, फरीदाबाद बजरिया डाक भेजी जाएगी । जो प्रभारी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ सैक्टर-12, फरीदाबाद की ID ना होने मुकदमा हजा को ASI जयपाल की ID मे दर्ज किया जा रहा है । ले0 AC

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)
Jaipal
No. (सं.): 244 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Amit Kumar

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): PINSP

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					Is Proxitted: Yes
2	Male					Is Proxitted: Yes
3	Male					Is Proxitted: Yes
4	Male					Is Proxitted: Yes



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

5	Male					Is Proxitted: Yes
6	Male					Is Proxitted: Yes
7	Male					Is Proxitted: Yes
8	Male					Is Proxitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)